

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा/Branch

सितम सराय शाखा, जौनपुर SITAM SARAI

No closure without obtaining clearance for
Mandate: SINGLY

Regional Director NRC, NCTE
20-10-2015 Jaipur

ईएम/कॉम क्र./EM/COM/B No. 569791

तिथि / Date: 20-10-2015

श्री/सुश्री Received from

M/S SRI BASHUDEO PRATHMIK SHIKSHA PRASHIKSHA प्रभावी तिथि / Effective Date:

कुल रुपये a sum of

खाता क्र. 609903030001339
से A/c. No. 609903020000021

रुपये /

Two Lakh only

ग्राहक क्र. 212255291
Customer No. 2,00,000.00

under the

मात्र only

जमा योजना / Deposit scheme for a period of

DRIC-DEP. REINVEST. CERT.

as per the terms and

conditions applicable to the scheme के अंतर्गत

की अवधि के लिए योजना में

लागू शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्राप्त.

जमाराशि Deposit 1 Y 10 M 0 D

अवधि Period 7.70

ब्याज दर Interest 20-08-2017

देय तिथि Due Date 20-08-2017

परिपक्वता मूल्य (केवल चक्रवृद्धि ब्याज योजना में लागू)
2,30,052.00

Maturity Value: (in case of compounding interest schemes only)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

(इ. ए. व.) (P.T.O.)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा/Branch

सितम सराय शाखा, जौनपुर SITAM SARAI

No closure without obtaining clearance from
Mandate: SINGLY

Regional Director NRC, NCTE
20-10-2015 Jaipur

ईएम/कॉम क्र./EM/COM/B No: 569790

तिथि / Date: 20-10-2015

श्री/सुश्री Received from

M/S SRI BASHUDEO PRATHMIK SHIKSHA PRASHIKSHA प्रभावी तिथि / Effective Date:

कुल रुपये a sum of

खाता क्र. 609903030001339
से A/c. No. 609903020000020

रुपये /

Two Lakh only

ग्राहक क्र. 212255291
Customer No. 2,00,000.00

under the

मात्र only

जमा योजना / Deposit scheme for a period of

DRIC-DEP. REINVEST. CERT.

as per the terms and

conditions applicable to the scheme के अंतर्गत

की अवधि के लिए योजना में

लागू शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्राप्त.

जमाराशि Deposit 1 Y 10 M 0 D

अवधि Period 7.70

ब्याज दर Interest 20-08-2017

देय तिथि Due Date 20-08-2017

परिपक्वता मूल्य (केवल चक्रवृद्धि ब्याज योजना में लागू)
2,30,052.00

Maturity Value: 230052 / (in case of compounding interest schemes only)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

(इ. ए. व.) (P.T.O.)

शर्तें एवं निबंधन TERMS AND CONDITIONS

1. घरेलू जमा राशियों के मामले में आयकर के नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती के अध्वधीन।
2. जमा राशि रसीदें हस्तांतरणीय नहीं हैं।
3. परिपक्वता तिथि से पूर्व आहरित की गई जमा राशियों का भुगतान, जमा राशि वास्तव में जितनी अवधि तक जमा रही है, उस अवधि के लिये लागू ब्याज दर से 1% कम अथवा संविदा दर दोनों में जो कम हो, की दर से किया जायेगा।
4. जमा राशि के भुगतान अथवा नवीनीकरण के समय विधिवत विमुक्त रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. यदि जमा राशि की देय तिथि को या उससे पूर्व शाखा को उसके नवीनीकरण हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तो परिपक्वता तिथि पर जमा राशि का उपचित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ अगले 90 दिन या समान अवधि अर्थात् परिपक्वता जमा राशि की अवधि के लिए नवीनीकरण कर दिया जायेगा।
6. देय तिथि की सूचना प्रमाणपत्र पर ही अंकित कर दी गयी है, ताकि जमाकर्ता को परिपक्वता मूल्य प्राप्त करने में सुविधा हो सके. देय तारीख की सूचना पुनः देने के लिए बैंक बाध्य नहीं है।
7. जमा राशि पर उपचित ब्याज से लागू दर के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी. जमाकर्ता, जमा पर उपचित ब्याज से स्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती अपने सक्रिय बचत / चालू खाते से डेबिट करने का निर्देश दे सकता है, ताकि जमा राशि का संपूर्ण परिपक्वता मूल्य प्राप्त हो सके.
8. यदि आय की रकम आयकर के अंतर्गत निर्धारित सीमा से कम है, तो स्रोत पर कर की कटौती के बिना ब्याज की रकम प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में फार्म 15जी / 15एफ (जो लागू हो), प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

1. Subject to deduction of tax at Source as per the Income Tax rules in case of domestic deposits.
2. Deposit Receipts are not transferable.
3. Interest on deposits prematurely withdrawn before the maturity date will be paid at the rate applicable to the period for which the deposit has run less 1% or the contracted rate whichever is lower.
4. The duly discharged deposit receipt should be surrendered at the time of payment or renewal of deposit.
5. In case no renewal instructions of the deposit are received by the branch on or before the due date, the deposit shall stand renewed with the accrued interest, if any, on due date for the period of 90 days or the same period i.e. the period of the matured deposit, whichever is lower, at the rate applicable for this period on the date of maturity.
6. Notice of due date is recorded on the Certificate to enable depositors to receive Maturity Value. The Bank is not bound to give further intimation of the due date.
7. TDS as per the applicable rate will be deducted from the interest accrued on the deposit. The depositor may ask the branch to recover the amount of tax to be deducted on the interest accruing on the deposit from his running SB/CD account to enable him to get the full Maturity Value of the deposit.
8. Please submit form 15G/15F (as applicable) in every financial year for receiving the interest without TDS if the income amount is below the limit prescribed under the Income Tax Act.

- लिया गया ऋण / ओवरड्राफ्ट रु. Loan / OD availed : Rs. _____
- धारणाधिकार अंकन तिथि Lien marked on : _____
- आरपी/पीए नंबर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षर Authorised Signature with RP/PA no.: _____

- धारणाधिकार समापन तिथि Lien lifted on : _____
- आरपी/पीए नंबर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षर Authorised Signature with RP/PA no.: _____

भुगतान PAYMENT

भुगतान नकद / पे ऑर्डर / डीडी द्वारा या _____ शाखा में बचत बैंक / चालू / सीसी खाता सं. _____ में क्रेडिट द्वारा प्राप्त
Received payment in Cash / PO / DD / Credit to SB / CD / CC A/c. No. _____ with _____ Branch

Revenue stamp, if payment is made in cash

शर्तें एवं निबंधन TERMS AND CONDITIONS

1. घरेलू जमा राशियों के मामले में आयकर के नियमानुसार स्रोत पर कर की कटौती के अध्वधीन।
2. जमा राशि रसीदें हस्तांतरणीय नहीं हैं।
3. परिपक्वता तिथि से पूर्व आहरित की गई जमा राशियों का भुगतान, जमा राशि वास्तव में जितनी अवधि तक जमा रही है, उस अवधि के लिये लागू ब्याज दर से 1% कम अथवा संविदा दर दोनों में जो कम हो, की दर से किया जायेगा।
4. जमा राशि के भुगतान अथवा नवीनीकरण के समय विधिवत विमुक्त रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. यदि जमा राशि की देय तिथि को या उससे पूर्व शाखा को उसके नवीनीकरण हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तो परिपक्वता तिथि पर जमा राशि का उपचित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ अगले 90 दिन या समान अवधि अर्थात् परिपक्वता जमा राशि की अवधि के लिए नवीनीकरण कर दिया जायेगा।
6. देय तिथि की सूचना प्रमाणपत्र पर ही अंकित कर दी गयी है, ताकि जमाकर्ता को परिपक्वता मूल्य प्राप्त करने में सुविधा हो सके. देय तारीख की सूचना पुनः देने के लिए बैंक बाध्य नहीं है।
7. जमा राशि पर उपचित ब्याज से लागू दर के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी. जमाकर्ता, जमा पर उपचित ब्याज से स्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती अपने सक्रिय बचत / चालू खाते से डेबिट करने का निर्देश दे सकता है, ताकि जमा राशि का संपूर्ण परिपक्वता मूल्य प्राप्त हो सके.
8. यदि आय की रकम आयकर के अंतर्गत निर्धारित सीमा से कम है, तो स्रोत पर कर की कटौती के बिना ब्याज की रकम प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में फार्म 15जी / 15एफ (जो लागू हो), प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

1. Subject to deduction of tax at Source as per the Income Tax rules in case of domestic deposits.
2. Deposit Receipts are not transferable.
3. Interest on deposits prematurely withdrawn before the maturity date will be paid at the rate applicable to the period for which the deposit has run less 1% or the contracted rate whichever is lower.
4. The duly discharged deposit receipt should be surrendered at the time of payment or renewal of deposit.
5. In case no renewal instructions of the deposit are received by the branch on or before the due date, the deposit shall stand renewed with the accrued interest, if any, on due date for the period of 90 days or the same period i.e. the period of the matured deposit, whichever is lower, at the rate applicable for this period on the date of maturity.
6. Notice of due date is recorded on the Certificate to enable depositors to receive Maturity Value. The Bank is not bound to give further intimation of the due date.
7. TDS as per the applicable rate will be deducted from the interest accrued on the deposit. The depositor may ask the branch to recover the amount of tax to be deducted on the interest accruing on the deposit from his running SB/CD account to enable him to get the full Maturity Value of the deposit.
8. Please submit form 15G/15F (as applicable) in every financial year for receiving the interest without TDS if the income amount is below the limit prescribed under the Income Tax Act.

- लिया गया ऋण / ओवरड्राफ्ट रु. Loan / OD availed : Rs. _____
- धारणाधिकार अंकन तिथि Lien marked on : _____
- आरपी/पीए नंबर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षर Authorised Signature with RP/PA no.: _____

- धारणाधिकार समापन तिथि Lien lifted on : _____
- आरपी/पीए नंबर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षर Authorised Signature with RP/PA no.: _____

भुगतान PAYMENT

भुगतान नकद / पे ऑर्डर / डीडी द्वारा या _____ शाखा में बचत बैंक / चालू / सीसी खाता सं. _____ में क्रेडिट द्वारा प्राप्त
Received payment in Cash / PO / DD / Credit to SB / CD / CC A/c. No. _____ with _____ Branch

Revenue stamp, if payment is made in cash